



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय: उप-आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय मानसरोवर, जयपुर

स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना 2007

बहुमंजलीय आवासीय योजना "कावेरी अपार्टमेन्ट्स" (द्वितीय चरण)

आवेदन-पत्र

नवीनतम
सत्यापित
फोटो

आवेदन क्रमांक :

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि
4. राष्ट्रीयता
5. व्यवसाय का स्वरूप (वैतनिक/अवैतनिक)
6. पत्र व्यवहार पता
- दूरभाष नं.
- स्थायी पता
- दूरभाष नं.
7. आवेदक की कुल वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पूर्व पंजीकरण (यदि हो तो) का विवरण (पंजीकरण प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न करें)
 - क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है:
 - ख. पंजीकरण का वर्ष
 - ग. वरियता क्रमांक
 - घ. जमा राशि
9. वर्तमान पंजीकरण राशि पंजीकरण का आय वर्ग
10. बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक
- बैंक का नाम
11. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति के होने के कारण रियायती पंजीकरण राशि जमा कराने के हकदार हैं ? यदि ऐसा है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. विशिष्ट श्रेणी में आवेदन हेतु नियत प्रमाण-पत्र संलग्न है/ नहीं।

आवेदन क्रमांक: 2007 /



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय: उप-आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय मानसरोवर, जयपुर

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

बहुमंजलीय आवासीय योजना "कावेरी अपार्टमेन्ट्स" (द्वितीय चरण) मानसरोवर, जयपुर हेतु

स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना 2007 में श्री/श्रीमती
से उच्च आय वर्ग प्रथम/द्वितीय हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र मय बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम
शाखा रु. का प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

(नोट: उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें।)

13. क्या स्वयं अथवा आश्रित संबंधी के पास पूरा या भाग के रूप में कोई फ्री होल्ड पट्टे पर जयपुर में आवासीय प्लॉट या मकान है यदि हाँ तो उसका विवरण ।

14. **संलग्न:**

- क. पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट
ख. आय का प्रमाण-पत्र (अपंजीकृत आवेदकों के लिए)
ग. अन्य वांछित प्रमाण-पत्र

15. सत्य निष्ठा कथन:

- क. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
- ख. मैं इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और इसके द्वारा मैं उनका पालन किये जाने के लिये सहमत हूँ।
- ग. मुझे आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् मैं विहित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
- घ. मेरा या मेरे आश्रितों का जयपुर शहर क्षेत्र जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री-होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नहीं है।
- ङ मुझे पूर्व में कोई आवास/फ्लेट जयपुर में मण्डल द्वारा आरक्षित/आवंटित नहीं किया गया है।
- च. मेरी मृत्यु होने की दशा में मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमान क्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:-

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

स्थान

दिनांक

सत्यापित

(नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

मुहर के साथ